Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झुंझुनूं में पुलिस थाना पचेरी कलां का चौकी प्रभारी, हैड कानिस्टेबल 10 हजार रूपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 अगस्त, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी झुंझुनूं इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रमेश कुमार हैड कानिस्टेबल, चौकी प्रभारी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी कलां, जिला झुंझुनूं को परिवादी से **10 हजार रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झुंझुनूं इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई उसके द्वारा दी गई उसके द्वारा दर्ज रिपोर्ट में कार्यवाही करने एवं मोटरसाईकिल वापस दिलवाने की एवज में रमेश कुमार हैड कानिस्टेबल, चौकी प्रभारी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी कलां, जिला झुंझुनूं द्वारा **12 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी की उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ईस्माईल खान** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के डूंगरपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये रमेश कुमार पुत्र श्री काशीराम निवासी चिमा का बास, पुलिस थाना सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं हाल हैड कानिस्टेबल, चौकी प्रभारी भालोठ, पुलिस थाना पचेरी कलां, जिला झुंझुनूं को परिवादी से **10 हजार रूपये** रिश्वत राशि के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।